प्रदूषण रोकिए ।   पर्यावरण बचाइए ॥

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AZAMGARH

सं.सं./Ref- 433/O.A. No- 42/2024.   दिनांक/Date 09-8-2024

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .

SUB: <u>REGARDING SUBMISSION OF RESPONSE/ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO-1, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 01.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI IN MISCELLANEOUS APPLICATION NO- 61/ 2024 IN ORIGINAL APPLICATION NO- 42/ 2024 MADASIR HASAN AND ORS VERSUS STATE OF UP.</u>

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 01.07.2024 in Miscellaneous Application No- 61/2024 in Original Application No- 42/ 2024 Madasir Hasan and Ors versus State of Uttar Pradesh, The Acton Taken Report on the behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosure: As above

(Ajeet Kumar Suman)
Regional Officer
U.P. Pollutio Control Board
Azamgarh

Copy to: Following for information and further necessary action.

1- Member Secretary, U.P.P.C.B. Lucknow.
2- Shri Pradeep Misra Advocate, Hon'ble NGT, B-235,Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.
3- CEO-6, U.P.P.C.B. Lucknow.
4- CLO, U.P.P.C.B. Lucknow.

Regional Officer
U.P. Pollutio Control Board
Azamgarh

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर मऊ रोड, आजमगढ़ – 276128, www.uppcb.com. E-mail-roazamgarh@uppcb.in Ph. No.- 05462-247517
मुख्यालय : टी.सी. 12वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 # दूरभाषा 2720828,2720681,2720691,2720831
फैक्स : 0522–2720764 # ई–मेल : info@uppcb.in # बेबसाइट : www.uppcb.in

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
MISCELLANEOUS APPLICATION NO- 61/ 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO- 42/ 2024

IN THE MATTER OF:

Madasir Hasan and Ors. Applicant(S)

Versus

State of UP Respondent

Order Date- 01.07.2024

Next Listing- 12.08.2024

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO-1, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 01.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI IN MISCELLANEOUS APPLICATION NO- 61/ 2024 IN ORIGINAL APPLICATION NO- 42/ 2024 MADASIR HASAN AND ORS VERSUS STATE OF UP.

That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 01.07.2024 in Miscellaneous Application No- 61/2024 in Original Application No- 42/ 2024 Madasir Hasan and Ors versus State of UP has passed the following directions:-

"........ 6. We, accordingly, implead the following as respondents:

(i) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Building. No. TC- 12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar.;

(ii) District Magistrate, Azamgarh;

(iii) Nagar Palika Parishad, Azamgarh, through its Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Azamgarh;

(iv) UP Jal Nigam, through its Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) 6, Rana Pratap Marg, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh;

(v) Principal Secretary, Urban Development, UP, Shri Mahavir Prasad Bapu Bhawan, Lucknow.

7. Registry is directed to issue notices to all the above respondents. They may file their response and show particularly as to why appropriate punitive action may not be taken in respect of the past and continuing violations with regard to discharge of sewage effluent on the open la without treatment causing pollution and thereby violating Section Water Act, 1974..........."

Response

1. That in compliance to the Hon'ble Tribunal order dated 01.07.2024, the officials of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, Azamgarh has inspected the site in question i.e. low lying area at Village Jalandhari, District Azamgarh on 05.07.2024. During inspection water sample of said low lying area was collected and deposited in Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Varanasi laboratory for analysis. As per analysis report, the parameters were within the prescribed norms except Coliform. The copy of the inspection report dated

19.07.2024 along with analysis reports is being attached as **Annexure No-1** to this response.

2. That further in pursuance to the findings of above mentioned inspection report dated 19.07.2024, the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide its letter dated 07.08.2024 has issued show cause notice for imposing environmental compensation in compliance of the Hon'ble Tribunal Order dated 21.05.2020 in OA No 593 of 2017 Paryavaran Suraksha Samiti & Anr versus Union of India & Ors with Mahesh Chandra Sexena versus South Delhi Municipal Corporation & Ors., against the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Azamgarh for not setting up adequate sewage treatment plant for treatment of sewage which is being discharge in open low lying area. The copy of the letter dated 07.08.2024 is being attached herewith as **Annexure No-2** to this response.

Therefore, the above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

(**Ajeet Kumar Suman**)
Regional Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Azamgarh

रजिस्टर्ड

ग्राम पर्यावरण
Gram : Paryavaran

क्षेत्रीय कार्यालय

" प्रदूषण रोकिए पर्यावरण बचाईए"
फोन – (05462)–247517
फैक्स – (05462)–247517

UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आजमगढ़

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD-AZAMGARH
(Azamgarh,Ballia, Mau)

संदर्भ सं0 370/O.A. No.- 42/2024
Ref. No.

दिनांक :
Date : 19/7/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित एम.नं.–61/2024 (ओ0ए0नं0–42/2024) मदासिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–एच.13690/सी–6/सा0–861/एम0ए0 नं0.–61/2024(ओ0ए0 नं0–42/2024)/2024 दिनांक 09.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.07.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीत कुमार सुमन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), आजमगढ़ को उनके पत्र सं0–251/एल0बी0सी0 दिनांक 10.07.2024 के सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : जयरामपुर मऊ रोड, आजमगढ़ - 276001, www.uppcb.com, E-mail- roazamgarh@uppcb.com
मुख्यालय : टी.सी. 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 # दूरभाष : 2720828, 2720681, 2720691, 2720831
फैक्स : 0522-2720764 # ई-मेल : info@uppcb.com # वेबसाइट : www.uppcb.com

माo राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा एम.ए. नं0–61/2024 ओरीजनल एप्लीकेशन नं0–42/2024 मे पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के क्रम में आख्या।

याची श्री मुदस्सर हुसैन, ग्राम/मुहल्ला–जालन्धरी, जनपद–आजमगढ़ द्वारा शिकायत की गयी है कि ग्राम/मु0–जालन्धरी, आजमगढ़ क्षेत्र की बसावट की जमीन नीची होने के कारण क्षेत्र में घरेलू अपशिष्ट जल आदि इकट्ठा होने के कारण प्रदूषण एवं जन सामान्य का स्वास्थय प्रभावित हो रहा है।

प्रकरण में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल अप्लिकेशन नं0–42/2024 बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 06.03.2024 को आदेश पारित किये गये है, जिसके बिन्दु सं0–2 व 3 निम्नानुसार है–

"2. In our view, the complaint made in the present Original Application, at the first instance, can be looked into by concerned authorities at District level and therefore, we direct State PCB and District Magistrate Azamgarh to jointly inspect the area, collect relevant information and take appropriate action for remediation and rejuvenation so that alleged pollution may be removed. Appropriate action shall be taken by said Committee with two months.

3. District Magistrate, Azamgarh shall be the nodal agency for coordination and compliance."

उक्त आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ के पत्र सं0–5590/ओ0एस0डी0–66/2024 दिनांक 15.03.2024 तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), आजमगढ़ के पत्र सं0–20/एल0बी0सी0 दिनांक 15.03.2024 के अनुपालन में दिनांक 16.03.2024 को स्थल का निरीक्षण गठित कमेटी द्वारा किया गया। आख्या निम्नवत् है–

ग्राम/मुहल्ला–जालन्धरी की आबादी के मध्य एक गड़ही स्थित है। राजस्व विभाग के अनुसार गड़ही का गाटा सं0–355, क्षेत्रफल कुल 212 एयर है। जालन्धरी के निवासियों के घर से निकले वाला घरेलू उत्प्रवाह गड़ही में जाता है। तथा गड़ही में किसी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है। तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जल प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है।

उक्त शिकायत के क्रम मे नगर पालिका परिषद आजमगढ से मत प्राप्त किया गया उनके अनुसार "मुहल्ला जालन्धारी स्थित गढ़ही का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि गढ़ही आबादी के मध्य स्थित है। जिसमे कुल 03 छोटे/बड़े नालियों का पानी उक्त गढ़ही में जा रहा है साथ ही साथ गढ़ही से सटे घरों का पानी सीधे गढ़ही में जा रहा है। गढ़ही कालोनी के रास्ते/गलियों से 5–6 फीट डाउन में स्थित है एवं रास्ते/गलियों के बीच जल निगम द्वारा सीवर पाईप लाइन डाली गयी है। रास्ते/गलियों के किनारे पर नालियां बनी हुई हैं जिससे आमजनों के घरों की जल निकासी हो रही है। गढ़ही को जल जमाव से बचाने हेतु जो नालियां गढ़ही तक जाती है। उसे मुख्य नाले से जोड़ कर गढ़ही में होने वाले जल–भराव को नियंत्रित किया जा सकता है। इस हेतु मुहल्ला जालन्धरी में इरशाद कुरैशी के घर से कलीम सिलाई मशीन तक नाली

13/7/2024
L.A

13/7/2024
AEO

निर्माण कार्य 2.80 लाख एवं मुहल्ला जालन्धरी में बाबा के मजार से अकरम के घर होते हुए मेन रोड मन्दिर तक नाली निर्माण कार्य 9.89 लाख तथा मुहल्ला जालन्धरी में पप्पू अग्रवाल के घर से दूबे जी का घर होते हुए मेन रोड तक नाली निर्माण का कार्य 8.23 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रूपया 20.92 लाख का आगणन तैयार किया गया है जिसकी कार्ययोजना आदर्श आचार संहिता के उपरान्त स्वीकृत/निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करा दिया जायेगा, जिससे गढही में होने वाले जल–जमाव को कम किया जा सकता है। गढ़ही में दिनांकः 08.04.2024 से बायोरेमिडेशन का कार्य भी कराया जा रहा है। (फोटोग्राफ संलग्न)

फोटोग्राफ्स निम्नवत है–

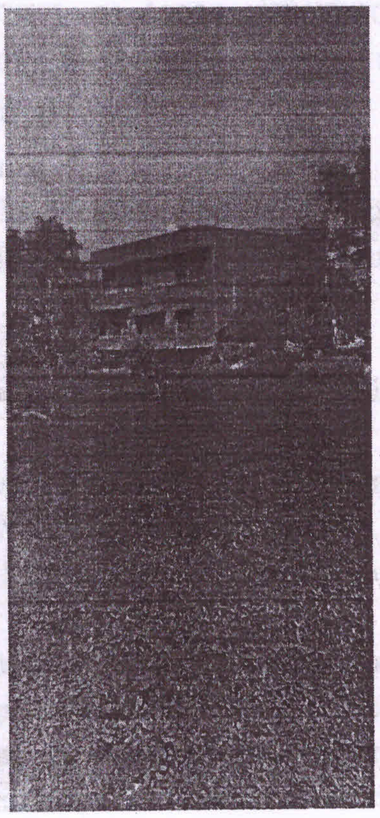

उक्त आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0–36/ओ.ए. सं0–42/2024 दिनांक 10.04.2024 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को प्रेषित की गई है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़ द्वारा पत्र सं0–74/एल0बी0सी0 दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा यू0पी0पी0सी0बी0 के अधिकारियों से अभिमत प्राप्त कर लिया जाय। इस कार्यालय द्वारा पत्र सं0–69/ओ0ए0 नं0–42/2024/2024–25 दिनांक 23.04.2024 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आजमगढ़ को अभिमत प्रेषित किया गया जो निम्नवत् है।

1. नगर पालिका परिषद द्वारा गढ़ही में जाने वाली नालियों को गढ़ही में मिलने से पूर्व डाईवर्ट करके बड़े नाले में जो आबादी से बाहर निकलता है में जोड़ा जाये।
2. जल निगम द्वारा सीवर लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए गढ़ही में मिलने वाली नालियों को सीवर लाईन से जोड़कर सीवर लाईन को अबिलम्ब सुचारू रूप से

संचालित कर घरेलू उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (STP) की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र करते हुए शोधन के उपरान्त ही शोधित उत्प्रवाह को निस्तारित किया जाये।

3. स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम/मुहल्ला–जालन्धरी जनपद आजमगढ़ के जन मानस को गड़ही में घरेलू उत्प्रवाह को निस्तारित करने से रोका जाये।
4. गड़ही में एकत्रित प्रदूषित घरेलू उत्प्रवाह का Bio Remadation का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाये जिससे Rejuvenation सम्भव हो सके तथा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 06.03.2024 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित एम.नं.–61/2024 (ओ0ए0नं0–42/2024) मदासिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 01.07.2024 को प्रकरण पर सुनवाई के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये गये हैं।

''......6. We accordingly, implead the following as respondsnts:

(i) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary , Uttar Pradesh Pollution Control Board , Bulding no. TC-12v, Vibhuti Khnd Gomti Nagar :

(ii) District magistrate, Azamgarh;

(iii) Nagar Palika Parisad Azamgarh through its Executive Offiicer, Nagar Palika Parisad azamgarh

(iv) UP Jal Nigam, through its Managing DIrector, Utttar Pradesh jal Nigam (Rural) 6 Rana Pratap Marg, Hajratganj, Lucknow, Uttar Pradesh;

(v) Principal Secratory Urban, Devlopment, UP, Shri Mahaveer Prasad Bapu Bhawan, Lucknow;

7. Registory Is Dirext To Essue noteces to all the above respondents, They may File their response and show particulary as to why appropriate punitive action may not be taken in respect of the past and continuing violantions with regard to discharge of sewage effulent on the open la without Traetment causing Pollution and thereby violating Section Water Act, 1974.

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित एम.नं.–61/2024 (ओ0ए0नं0–42/2024) मदासिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के उक्त आदेश के क्रम में जालन्धरी गड़ही आजमगढ़ का निरीक्षण दिनांक 05.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय बायोरेमिडेशन का कार्य बन्द पाया गया तथा अशोधित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सीधे गड़ही में होता पाया गया। निरीक्षण के समय एकत्रित किये गये जल नमूने की विश्वलेषण आख्या तथा फोटोग्राफ निम्नवत् है।

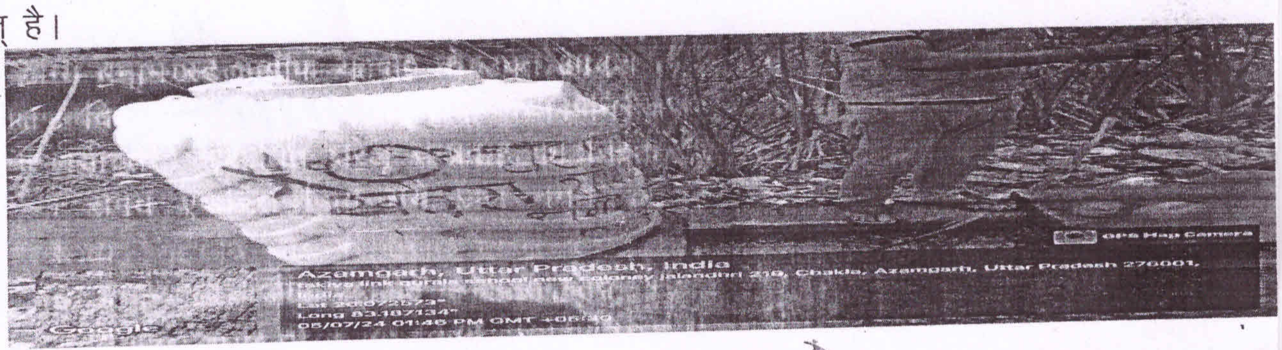

1. जालन्धरी गड़ही आजमगढ़ (नमूना एकत्रण दिनांक 05.07.2024)

Parameter	Unit	Result	Detection Range
pH, APHA24th Ed,4500-B: 2023	-	7.21	02-12
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	30	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th ED.2510B:2023	uS/cm	1210	0.1-10000 uS/cm
Disolved Solidds, APHA 24th ED. 2540 0c Total Disolvede Solids dried at 180 0c 2023	mg/l	742	5.0-10000 mg/l
Hardness ,APHA 24th Ed. 2340 0c EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	444	10.0-5000 mg/l
Chloride, APHA 24th ED 4500-Cl-B:2023	mg/l	152	3.0-500 mg/l
Toatal Coliform, APHA 9221 24th Ed: 2023	MPN/100ml	170000	<1.8 MPN/100ml & above
Fecal Coliform, APHA 9221 24th Ed: 2023	MPN/100ml	110000	<1.8MPN/100ml & above
BOD, APHA 24th Ed.3 day 27 ^{0}C IS 3025 (Part 44); 1993 Bio 2023	mg/l	25.2	1.0-1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	132	4.0-1000 mg/l
D.O. ,APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	2.2	0.2-14.0 mg/l

अतः उपरोक्तानुसार उक्त परिपेक्ष्य में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नेटिस की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है।

15/7/2024
(नवीन कुमार)
प्रयोगशाला सहायक

19/7/24
(ओ0एच0 सिद्दीकी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

AK
19/7/24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1153 84 / सी.–6 / सा0–861 / ओए 42 / 2024 / आजम0 / 2024 Dated 7-8-24

Annexure No-2

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
आजमगढ़। मोबाईल नं0– 9794152062

यह कि माननीय एनजीटी, नई दिल्ली में विचाराधीन ओए संख्या 42 / 2024 में एमए संख्या 61 / 2024 मदासिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..........*4. It shows that diversion drain/sewer line is yet in the stage of construction, discharge of sewage effluent in area is still continuing. We are unable to understand as to how the said discharge has been stopped or diverted when the drains/sewer lines have not been constructed and operated till date and they are in the process of construction. This is a serious failure of compliance of environmental laws and norms on the part of the concerned authorities particularly Nagar Palika Parishad, Azamgarh and District Magistrate, Azamgarh and operating agency Le. UP Jal Nigam. This is clearly violation of Section 24 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as Water Act, 1974')*

5. We are also surprised as to why in such circumstances no punitive, preventive and remedial action has been taken by Uttar Pradesh Pollution Control Board against the violators.........."

यह कि उपरोक्त वर्णित ओए में प्रश्नगत गढ़ही में निस्तारित हो रहे सीवेज के संबंध में नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला जालन्धारी स्थित गढ़ही का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ के कार्मिकों द्वारा दिनांक 05.07.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त गढ़ही आबादी के मध्य स्थित है, जिसमें कुल 03 छोटे / बड़े नालियों का उत्प्रवाह जाता है तथा साथ ही साथ गढ़ही से सटे घरों का पानी सीधे गढ़ही में जाता है। निरीक्षण के समय उक्त उत्प्रवाह के शोधन हेतु स्थापित बायोरेमिडियशन का कार्य बन्द पाया गया तथा उत्प्रवाह बिना शुद्धिकरण किये गढ़ही में निस्तारित होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय गढ़ही से जल नमूना एकत्र कर राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशाला, वाराणसी में विश्लेषित कराया गया, विश्लेषण आख्या के अनुसार परिणाम निम्नवत् है :–

Location of Sampling point	Date of sample collection	Parameters				
		pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TC (MPN/ml)	FC (MPN/mL)
गढ़ही का जल नमूना	05.07.2024	7.21	25.2	132	170000	110000

यह कि उपरोक्त वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ के निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य से स्पष्ट है कि उक्त कृत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 की धारा–24 का उल्लंघन दर्शाता है।

यह कि माननीय एन.जी.टी. में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–593 / 2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 के बिन्दु सं0–08 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..........8. Before proceeding further, we may also note further order of this Tribunal dated 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018 directing as follows:

47. We now sum up our directions as follows:

i. ***100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP.***

Scanned with OKEN Scanner

ii. ***Timeline for completing all steps of action plans including completion of setting up STPs and their commissioning till 31.03.2021 in terms of order dated 08.04.2019 in the present case will remain as already directed. In default, compensation will be liable to be paid at the scale laid down in the order of this Tribunal dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 10 lakhs per month per STP.***

यह कि आप द्वारा नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला जालन्धारी स्थित गढ़ही में निस्तारित हो रहे सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित नही की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा उत्तरदायीं विभाग नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उत्तरदायी विभाग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :—

1. यह कि क्यों न नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के के क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला जालन्धारी स्थित गढ़ही में निस्तारित हो रहे सीवेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित न किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी विभाग नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 05.07.2024 से रूपये 5.0 लाख प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध दिनांक 05.07.2024 से 5.0 लाख प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपके विभाग का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, प्लाट नं0–18, सेक्टर–7, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

Scanned with OKEN Scanner